

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर से अदालत हुकम की में जारी
14.2.24	<p>           पत्रावली चेषा हुई वकील पक्षकारान उपर            ही बहस प्रापत्र न.१ में वकील अर्धीने            अपने प्रापत्र में वकिलि तथो को            दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा से            अप्रार्थीगण को बाबंद किये जाने हेतु            निवेदन किया। वर्तमान में विवादित भूमि            खसरा सं. 7, 9 तथा खसरा सं. 62            की जमाबंदी में प्रत्यार्थीगण रिकॉर्ड            खातेदार दर्ज ही रिकॉर्ड खातेदार के            निरुद्ध उधम दुष्टता केस में अस्थायी            निषेधाज्ञा दिया जाना उचित प्रतीत नहीं            होता है सुविधा सन्तुलन एवं अप्रौढनीय            क्षति का बिन्दु श्री रिकॉर्ड खातेदारान            प्रत्यार्थीगण के पक्ष में ही है अतः            अप्रार्थीगण का अर्धीना पत्र वास्ते अस्थायी            निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है निर्णय            खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली            नम्बर से काम की जाकर बाद तत्प्रीत            मूलवाद के साथ संलग्न रहे।         </p>	

प्रति

[Signature]  
 उपाधी अधिकारी  
 गंजवा (बुन्की)

